कार्यपरिषद् की 51वीं बैठक, दिनांक 02 अप्रैल, 2024 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की मा. कार्यपरिषद् की **51वीं** बैठक **दिनांक 02 अप्रैल, 2024 (मंगलवार)** को अपराह्न **03:00 बजे** विश्वविद्यालय मुख्यालय में ऑफलाइन/ऑनलाईन के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

उक्त बैठक में निम्नांकित सम्मानित सदस्यों/महानुभावों ने प्रतिभाग किया :–

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री** — **अध्यक्ष**
   कुलपति
2. **मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री आर.सी. खुल्बे** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   पूर्व मा. न्यायमूर्ति
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।
3. **प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   देव संस्कृति विश्वविद्यालय
   हरिद्वार।
4. **प्रो. कमला चौहान** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग
   हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय
   श्रीनगर।
5. **प्रो. यशबीर सिंह** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली।
6. **श्री पद्माकर मिश्रा** — **सदस्य**
   निदेशक/उप निदेशक
   उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय
   रानीपुर झाल, हरिद्वार।
7. **डॉ. प्रतिभा शुक्ला** — **सदस्य**
   संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
8. **डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
9. **डॉ. कामाख्या कुमार** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
   उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
10. **डॉ. विनय कुमार सेठी** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
    सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
    ज्ञान–विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
11. **डॉ. संजीव शास्त्री** — **सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)**
    प्राचार्य,
    श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
    परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

12. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** — **सदस्य**
प्राचार्य,
श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल
हरिद्वार।

13. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** — **सदस्य**
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

14. **श्री गिरीश कुमार अवस्थी** — **सचिव/मा. कार्यपरिषद्**
कुलसचिव

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :–

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** — **सदस्य**
आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
ज्ञान–विज्ञान विभाग

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्या : 01 मा. कार्यपरिषद् की 46वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **(i) मा. कार्यपरिषद् ने कार्यपरिषद् की सम्पन्न हुयी 46वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं सन्तोष व्यक्त किया।**

(ii) मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त कार्यपरिषद् की सम्पन्न हुयी 46वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2023 के मद संख्या–19 के विनिश्चय के क्रम में निर्देश दिये की साँई इन्स्टीट्यूट ऑफ यौगिक साइंस जसपुर खुर्द, कुण्डेश्वरी रोड़ तहसील–ऊधम सिंह नगर काशीपुर अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता हेतु शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में सशर्त पुनः पत्र प्रेषित किया जाय जिसमें तिथि का उल्लेख किया जाय अन्यथा की दशा में अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

मद संख्या : 02 मा. कार्यपरिषद् की 47वीं बैठक दिनांक 16 जून, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त कार्यपरिषद् की 47वीं बैठक दिनांक 16 जून, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं सन्तोष व्यक्त किया।**

मद संख्या : 03 मा. विद्यापरिषद् की 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 का कार्यवृत्त मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त विद्यापरिषद् की 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 04 मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं सन्तोष व्यक्त किया।**

मद संख्या : 05 मा. कार्यपरिषद् की 49वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त कार्यपरिषद् की 49वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं सन्तोष व्यक्त किया।**

मद संख्या : 06 मा. कार्यपरिषद् की 50वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त कार्यपरिषद् की 50वीं (आकस्मिक) बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं सन्तोष व्यक्त किया।**

मद संख्या : 07 मा. विद्यापरिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 का कार्यवृत्त मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त विद्यापरिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 08 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का स्थलीय निरीक्षण उत्तराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या 908/XLII-1/2018–06(07) 2011 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा गठित वर्गीकरण समिति ने दिनांक 05.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण समिति द्वारा औचित्यपूर्ण/मानकानुरूप नहीं पाये जाने के कारण उक्त महाविद्यालय को वर्गीकरण हेतु महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति नहीं की गयी।

2. उक्त वर्गीकरण समिति द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्या को मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 21वीं बैठक दिनांक 25.01.2021 के मद संख्या 03 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें।

उक्त प्रस्ताव को कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 28.01.2021 के मद संख्या 04 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी अभिलेख व वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2022–23 से शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

मा0 विद्यापरिषद् एवं मा0 कार्यपरिषद के विनिश्चय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 765/प्रशासन/2021दिनांक 17.02.2021 द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया।

3. श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन, खड़खड़ी हरिद्वार के पत्रांक संख्या 57/प्रस्ताव/ 2022–23 दिनांक 14.02.2023 द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 29.03.2023 को विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 27वीं बैठक दिनांक 13.06.2023 के मद सख्या 02 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

मा0 विद्यापरिषद ने उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया तथा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को शासन द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

4. महाविद्यालय के प्रबन्धक ने अपने पत्र क्रमांक 41/2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष में छात्रों के प्रवेश परीक्षा के सन्दर्भ में अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के पत्रांक 1022/प्रशासन/2024 दिनांक 25 जनवरी, 2024 द्वारा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों को सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है।

5. मा0 विद्यापरिषद् के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड शासन, संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या 908/XLII-1/2018-06(07) 2011 दिनांक 24.12.2018 एवं शासनादेश संख्या 141/XLII-1/2023-06(07)/2011 संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 26.06.2023 के क्रम में गठित वर्गीकरण समिति द्वारा श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का दिनांक 06.07.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण समिति द्वारा उक्त महाविद्यालय को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

अतः प्रकरण मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का वर्गीकरण समिति द्वारा महाविद्यालय को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति किये जाने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन किया वर्गीकरण में निरीक्षण समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये महाविद्यालय के अन्तर्गत वर्गीकरण की संस्तुति को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के मद संख्या–06 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रकरण मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>विनिश्चय :</u>

(i) महाविद्यालय के प्रबन्धक ने अपने पत्र क्रमांक 41/2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष में छात्रों के प्रवेश परीक्षा के सन्दर्भ में अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के पत्रांक 1022/प्रशासन/2024 दिनांक 25 जनवरी, 2024 द्वारा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों को सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा उक्त का संज्ञान लिया एवं कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

(ii) मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के मद संख्या–06 के निर्णय का संज्ञान लिया एवं गहन विचार–विमर्श कर श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का वर्गीकरण समिति द्वारा महाविद्यालय को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति किये जाने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन किया वर्गीकरण में निरीक्षण समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये महाविद्यालय के अन्तर्गत वर्गीकरण की संस्तुति को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया।

मा. कार्यपरिषद् ने समस्त कार्यवाही का संज्ञान लेते हुये विद्यापरिषद् के निर्णय पर सशर्त (यू.जी.सी. मानकानुरूप अर्हता धारित शिक्षकों को नियोजित किया जाये) अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 09 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री 108 बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश जनपद–देहरादून का स्थलीय निरीक्षण उत्तराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या–908/XLII–1/2018–06(07)2011 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा गठित वर्गीकरण समिति ने दिनांक 05.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण समिति द्वारा औचित्यपूर्ण/मानकानुरूप नहीं पाये जाने के कारण उक्त महाविद्यालय को वर्गीकरण हेतु महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति नहीं की गयी। उक्त वर्गीकरण समिति द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्या को मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 21वीं बैठक दिनांक 25.01.2021 के मद संख्या 03 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें।

उक्त प्रस्ताव को मा. कार्यपरिषद् की 40वीं बैठक दिनांक 28.01.2021 के मद संख्या 04 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी अभिलेख व वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2022–23 से शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

मा. विद्यापरिषद् एवं मा. कार्यपरिषद् के विनिश्चय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 765/प्रशासन/2021 दिनांक 17.02.2021 द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया।

श्री 108 बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश के पत्रांक संख्या 06/22–03–08/21 दिनांक 03.08.2021 द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 24वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के मद सख्या–08 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

मा0 विद्यापरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया तथा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को शासन द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

महाविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 19.11.2022 द्वारा सत्र 2022–23 हेतु शास्त्री प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने के लिये विश्वविद्यालय से अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया।

उक्त पत्र के क्रम में प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत कर मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में सत्र 2022–23 में छात्रों को प्रवेश दिये जाने हेतु मा. विद्यापरिषद्/मा. कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में महाविद्यालय हेतु सत्र 2022–23 में छात्रों के प्रवेश, परीक्षा आदि की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी पत्र निर्गत किया गया। यह अपेक्षा की गयी कि भविष्य में विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई ऐसा कार्य न किया जाये जिसके लिये विश्वविद्यालय की अनुमति आवश्यक हो अन्यथा की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–15 के विनिश्चयानुसार एवं मा. कार्यपरिषद् की सम्पन्न हुयी 30 मार्च, 2023 के मद संख्या–26 के विनिश्चयानुसार सत्र 2022–23 हेतु छात्रों को प्रवेश, परीक्षा आदि दिये जाने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2021 को विश्वविद्यालय को दिये गये पत्र के साथ शपथ पत्र दिया गया जिसमें 02.08.2021 से आगामी 08 वर्षों हेतु लीज डीड/पट्टाविलेख संलग्न किया गया है। चूँकि मूल डीड की अवधि वर्ष 2028 तक ही है जिसके नवीनीकरण होने के उपरान्त अग्रिम वर्षों के लिये लीज डीड बढ़ाने सम्बन्धी शपथ पत्र दिया गया है।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्र के पत्रांक BKKS 8/12–23 मान्यता दिनांक 08.12.2023 द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित किया गया जिसमें सत्र 2023–24 हेतु शास्त्री प्रथम सेमेस्टर एवं आचार्य प्रथम सेमेस्टर में छात्रों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति माँगी गयी।

उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण को पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के पत्रांक 1089/प्रशासन/2024 दिनांक 13 फरवरी, 2024 द्वारा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों को सत्र 2023–24 हेतु शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है।

मा. विद्यापरिषद् के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या 908/XLII-1/2018.06(07) 2011 दिनांक 24.12.2018 एवं शासनादेश संख्या 141/XLII-1/2023-06(07)/2011 संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 26.06.2023 के द्वारा गठित वर्गीकरण समिति ने श्री 108 बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश का दिनांक 19.02.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण समिति द्वारा उक्त महाविद्यालय को वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत सशर्त संचालित किये जाने हेतु निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति की गयी है।

अतः प्रकरण मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(i) मा. विद्यापरिषद् ने महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुरोध पत्र के पत्रांक BKKS 8/12–23 मान्यता दिनांक 08.12.2023 द्वारा जिसमें महाविद्यालय को सत्र 2023–24 हेतु शास्त्री प्रथम सेमेस्टर एवं आचार्य प्रथम सेमेस्टर में छात्रों को प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति माँगी गयी, जिस पर विश्वविद्यालय के पत्रांक 1089/प्रशासन/2024 दिनांक 13 फरवरी, 2024 द्वारा मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये छात्रों को सत्र 2023–24 हेतु शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गयी है उस पर मा. विद्यापरिषद् ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

(ii) मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर श्री 108 बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश जनपद–देहरादून का वर्गीकरण समिति द्वारा महाविद्यालय को वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत सशर्त संचालित किये जाने हेतु निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति किये जाने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन किया वर्गीकरण में निरीक्षण समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये महाविद्यालय के अन्तर्गत वर्गीकरण की संस्तुति को वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत सशर्त (यू.जी.सी. मानकानुरूप अर्हता धारित शिक्षकों को नियोजित किया जाय) संचालित किये जाने हेतु निजी महाविद्यालय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिस पर मा. विद्यापरिषद् सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के मद संख्या–03 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतः उक्त प्रकरण मा. कार्यपरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के मद संख्या–03 के निर्णय का संज्ञान लिया एवं गहन विचार–विमर्श कर श्री 108 बाबा काली कमली संस्कृत महाविद्यालय, ऋषिकेश जनपद–देहरादून का वर्गीकरण समिति द्वारा महाविद्यालय को वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत सशर्त संचालित किये जाने हेतु निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति किये जाने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन किया वर्गीकरण में निरीक्षण समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये महाविद्यालय के अन्तर्गत वर्गीकरण की संस्तुति को वित्त विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत सशर्त (यू.जी.सी. मानकानुरूप अर्हता धारित शिक्षकों को नियोजित किया जाय) संचालित किये जाने हेतु निजी महाविद्यालय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिस पर मा. विद्यापरिषद् सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया।**

मा. कार्यपरिषद् ने समस्त कार्यवाही का संज्ञान लेते हुये विद्यापरिषद् के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या : 10 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अन्तर्गत सत्र 2023–24 (प्रथम सेमेस्टर) में नितान्त अस्थायी तौर पर 02 शिक्षकों को नियोजित किये जाने एवं द्वितीय सेमेस्टर में भी नितान्त अस्थायी तौर पर नियोजित किये गये शिक्षकों से पाठ्यक्रम पूर्ण कराये जाये सम्बन्धी प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के मद संख्या–04 एवं मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के मद संख्या–05 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त ज्योतिष विभाग के लिये भी अतिथि शिक्षकों को नितान्त अस्थायी तौर पर आबद्ध किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

शासन के पत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में अतिथि शिक्षकों को रखे जाने एवं मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुये हैं जिसमें बिन्दु संख्या–02 पर निम्न उल्लेख किया गया हैं :–

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पत्र दिनांक 19.02.2024 में उल्लिखित बिन्दुओं पर उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् स्तर विचार कर कार्यपरिषद् स्तर से पारित निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विनिश्चय : **(i) मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अन्तर्गत सत्र 2023–24 (प्रथम सेमेस्टर) में नितान्त अस्थायी तौर पर 02 शिक्षकों को नियोजित किये जाने एवं द्वितीय सेमेस्टर में भी नितान्त अस्थायी तौर पर नियोजित किये गये शिक्षकों से पाठ्यक्रम पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 एवं मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के निर्णय का संज्ञान लिया तथा उक्त के अतिरिक्त ज्योतिष विभाग के लिये भी अतिथि शिक्षकों को नितान्त अस्थायी तौर पर आबद्ध किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।**

(ii) मा. कार्यपरिषद् ने शासन के पत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में अतिथि शिक्षकों को रखे जाने एवं मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों का संज्ञान लिया तथा समस्त प्रकरण का संज्ञान लेकर विचार–विमर्श कर अतिथि शिक्षकों को रू. 500/– प्रतिवादन की दर से सत्र 2023–24 (प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर) में मानदेय भुगतान प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) सत्र 2024–25 में वित्त नियंत्रक से परामर्श प्राप्त कर तदनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

मद संख्या : 11 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य विषय में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि प्राप्त कर चुके डॉ. रितेश कुमार द्वारा आई.सी.एस.एस.आर. **(इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,** नई दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरल फैलोसिप हेतु आवेदन किया गया है इस हेतु डॉ. प्रतिभा शुक्ला, सह–आचार्या–साहित्य विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निर्देशन में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं।

(ii) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से वेद विषय में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि प्राप्त कर चुके डॉ. रिन्कू द्वारा आई.सी.एस.एस.आर. **(इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,** नई दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरल फैलोसिप हेतु आवेदन किया गया है इस हेतु डॉ. कामाख्या कुमार, सह–आचार्य, योग विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निर्देशन में मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं।

उपरोक्त आवेदकों के द्वारा विश्वविद्यालय में उक्त विभागों के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों को मा. विद्यापरिषद् एवं मा. कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में एवं मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिये गये हैं। उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 29वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 के मद संख्या–02 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

अतः प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् ने उपरोक्त कार्यवाही का संज्ञान लिया एवं उक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 12 मा. कार्यपरिषद् को अवगत कराना है कि मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के मद संख्या–03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में शंकराचार्य शोधपीठ की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सहमति प्रदान की।

अतः उक्त प्रस्ताव मा. कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **(i) मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया।**

(ii) मा. कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. संजीव शास्त्री द्वारा विश्वविद्यालय में पण्डित मदन मोहन मालवीय शोधपीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया। जिस पर मा. कार्यपरिषद् द्वारा भविष्य में विचार किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

नोट :– **मा. कार्यपरिषद् की 51वीं बैठक में जहाँ–जहाँ भी डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी का प्रकरण आया वहाँ–वहाँ पर मा. न्यायमूर्ति श्री आर.सी. खुल्बे ने अपने को पृथक् रखा।**

अन्य मद : मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

Writ Petition (S/B) No. 155 of 2018 Dr Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttarakhand and Others दिनांक 20.12.2018 को पारित निर्णय में मा. न्यायमूर्ति श्री आर.सी. खुल्बे तद्समय मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में जज थे।

उक्त निर्णय मा. न्यायमूर्ति श्री आर.सी. खुल्बे के हस्ताक्षर से पारित हुआ था।

अतः निम्नलिखित प्रस्ताव पर मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री आर.सी. खुल्बे ने अपने को बैठक से पृथक् रखा।

मद संख्या 01 : मा. कुलपति महोदय द्वारा प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी की व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें आवेदन–पत्र के साथ हेमकुण्ड चाइल्ड जूनियर हाई स्कूल, रसूलपुर, बहलोलपुर (गाजियाबाद) का अनुभव प्रमाण–पत्र दिनांकित 20.05.1996 संलग्न है। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उक्त के क्रम में मा. कार्यपरिषद् के कतिपय सदस्यों व विश्वविद्यालय के अधिकारियों से विचार–विमर्श करके मा. कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा के क्रम में सम्बन्धित अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया, जिसके क्रम में विभिन्न पत्र प्राप्त हुए हैं।

उक्त पत्रों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन प्रस्तावित है।

विनिश्चय : **उक्त प्रस्ताव पर मा. कार्यपरिषद् ने गहन विचार–विमर्श कर समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया एवं मा. कुलपति महोदय को समिति के गठन हेतु अधिकृत किया तथा समिति के गठन से पूर्व समिति के सम्भावित सदस्यों के नामों पर सहमति हेतु मा. राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करने की अपेक्षा की।**

मद संख्या 02 : प्रो. मोहन चन्द बलोदी द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–995/ प्रशासन/2024 दिनांक 06 जनवरी, 2024 एवं मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित अवमानना याचिका संख्या–283 ऑफ 2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2024 के अनुपालन में दिनांक 16.01.2024 को प्रोफेसर के पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गई।

तत्पश्चात् प्रो. बलोदी के द्वारा विश्वविद्यालय के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार एवं उनके द्वारा विश्वविद्यालय में किये गये आचरण की समीक्षा भी उक्त समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

विनिश्चय : **उक्त प्रस्ताव पर मा. कार्यपरिषद् ने सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**

अन्त में सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
सचिव–मा. कार्यपरिषद्

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
अध्यक्ष–मा. कार्यपरिषद्